संख्या-514/2020/2896/22-2-2019-17(100)/2010

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरन्द सिंह, निवासी जनपद-जालौन की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33677/प्रोबे0अनु0(2)-211/सला0समिति/(एम-28-08-2019), दिनांक 19-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरन्द सिंह, ग्राम-लहरउआ, थाना-कोतवाली, जनपद-जालौन का रहने वाला है। दिनांक 22-10-1995 को बंदी द्वारा अपनी चुनावी रंजिश होने के कारण 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी लाइसेंसी रायफल, बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/96 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 28.09.1998 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2018 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2019 तक 23 वर्ष, 10 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष, 07 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया, मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, जालौन स्थान उरई द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी गयी है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफल, बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बंदी की उम्र लगभग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

58 वर्ष होने तथा शारीरिक रूप से सशक्त होने, बंदी के कारागार से मुक्त होने पर उसकी जान-माल का खतरा होने, बंदी के कारागार से मुक्त होने पर अपराध की संभावना होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरन्द सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा (बन्दी संख्या-12669) पुत्र श्री गिरन्द सिंह, निवासी जनपद-जालौन की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-514/2020/2896(1)/22-2-2019 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-जालौन।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।